हडको सीजीटीई बॉन्ड्स की नई श्रृंखला के लॉन्च के संबंध में सूचना

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 85 के अंतर्गत (1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी)

हडको 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी नए पूंजीगत लाभ कर छूट (सीजीटीई) बॉन्ड्स (श्रृंखला - II) की एक नई श्रृंखला लॉन्च करने जा रहा है। जिन निवेशकों की आवेदन राशि 1 अप्रैल, 2026 या उसके बाद हडको के 54ईसी संग्रह खाते में जमा होगी, उन्हें आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 85 के अंतर्गत जारी किए गए पूंजीगत लाभ कर छूट बॉन्ड्स की नई श्रृंखला-II के अंतर्गत बॉन्ड आबंटित किए जाएंगे।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 85 से बदल दिया गया है (1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी)। धारा 85 दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) पर छूट प्रदान करता है जो भूमि या भवनों अथवा दोनों के हस्तांतरण से उत्पन्न होती है यदि यह निर्दिष्ट दीर्घकालिक बॉन्ड में निवेश की जाती है।

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड हडको सीजीटीई बॉन्ड्स श्रृंखला - II के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट हैं।

मोबिलाइज़र, कलेक्शन बैंक और अन्य नियमों और शर्तों की जानकारी के लिए, निवेशक बॉन्ड श्रृंखला का सूचना ज्ञापन देख सकते हैं या हडको की वेबसाइट पर जा सकते हैं: www.hudco.org.in

हडको लिमिटेड के लिए

जीएम(वित्त)

अस्वीकरण: उपरोक्त दी गई सूचना उक्त बॉन्डों की सदस्यता के लिए पब्लिक के समक्ष प्रस्ताव का गठन नहीं करेगा।